न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– सचिन यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या: 03/21 दायर दिनांक: 10.09.2021

जीसीएमएस नं. 2021/200

1.कमलसिंह पुत्र जीवन 2.प्रतापसिंह 3.केहरीसिंह 4.रतनसिंह पुत्रान कमलसिंह जातियान जाटव नि. अरूंबा तह. कठूमर जिला अलवर राज. 5.लज्जा पुत्री कमलसिंह पत्नि शिब्बो जाति जाटव नि. नगरी मोती की तह. लक्ष्मनगढ जिला अलवर 6.बत्तो पुत्री कमलसिंह पत्नि झब्बू जाति जाटव नि. नगरी मोती की तह. लक्ष्मनगढ जिला अलवर 7.शीला पुत्री कमलसिंह पत्नि बाबूलाल जाति जाटव नि. नगरी मोती की तह. लक्ष्मनगढ जिला अलवर राज.

—अपीलाण्ट

बनाम

1.ग्रा.पं. रणधीरगढ पं.स. वैर जरिये सरपंच ग्रा.पं. रणधीरगढ पं.स. वैर जिला भरतपुर राज.
2.गंगासहाय 3.बिजेन्द्र पुत्रान प्रभू 4.रामप्यारी पत्नि प्रभू जातियान जाटव नि. लालपुर तह. महवा जिला दौसा
5.गीता पुत्री प्रभू पत्नि महेश जाति जाटव नि. मैनावास तह. वैर जिला भरतपुर राज.
6.द्रौपती पत्नि सोहनलाल 7.महेन्द्र पुत्र सोहनलाल जातियान जाटव नि. लालपुर तह. महवा जिला दौसा
8.अनीता पुत्री सोहनलाल पत्नि लाखन जाति जाटव नि. नंगला पचौरा तह. वैर जिला भरतपुर राज.
9.रामनिरी पुत्री सोहनलाल पत्नि कल्ला जाति जाटव नि. नंगला पचौरा तह. वैर जिला भरतपुर राज.
10.पूजा पुत्री सोहनलाल पत्नि मुकेश जाति जाटव नि. भगतपुरा तह. वैर जिला भरतपुर राज.
11.गुडिया पुत्री सोहनलाल पत्नि कमलसिंह जाति जाटव नि. रैणी तह. रैणी जिला अलवर राज.
12.रामप्रसाद 13.बाबूलाल पुत्रान बुद्धी 14.बत्तो पुत्री बुद्धी जातियान जाटव नि. लालपुर तह. महवा जिला दौसा राज.

—रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 विरूद्ध
नामा. सं. 965
ग्रा.पं. रणधीरगढ

अधिवक्ता– 1.श्री पप्पूराम —अपीलाण्ट
2.श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा —रेस्पो.

<u>निर्णय दिनांक 19.07.2024</u>

अपील अपीलाण्ट द्वारा यह वकील उपस्थित होकर पेश की गई। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ.ख.नं. 400 रकबा 07 बीघा 15 बिस्वा, 1308/362 रकबा 10 बिस्वा, किता 02 कुल रकबा 08 बीघा 05 बिस्वा जिनके नये ख.नं. 484 रकबा 0.08, 534 रकबा 1.25 हैक्टे. में संपूर्ण हिस्सा व आ.ख.नं. 394 रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा जिसका नया आ.ख.नं. 526 रकबा 1.37 हैक्टे. में 1/2 हिस्सा वाके ग्राम रणधीरगढ तह. भुसावर का खातेदार अपीलान्ट का ससुर/नाना रामकिशन पुत्र इन्दर जाति जाटव नि. लालपुर तह. महवा जिला दौसा था। उक्त आराजी रामकिशन की छोडी गई आराजी है।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

अपीलान्ट के ससुर/नाना के द्वारा छोडी गई उपरोक्त आराजीयात का नामा. रेस्पो. संख्या 02 लगायत 11 के पिता/पति/ससुर/बाबा प्रभू एवं रेस्पो. संख्या 12 लगायत 14 के पिता बुद्धि ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर व धोखा देते हुए राजस्व रिकॉर्ड में नामा. संख्या 965 दिनांक 15.08.1997 ग्रा.पं. रणधीरगढ द्वारा खोला गया था। जिसके आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में रेस्पो. संख्या 02 लगायत 11 के पिता व रेस्पो. संख्या 12 व 13 तथा रामादेवी के नाम खातेदारी दर्ज करवा ली। इस प्रकार नामा. संख्या 965 खिलाफ मौका व खिलाफ कानून के है, जिसके विरूद्ध यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत है–

(अ) रेस्पो. संख्या 01 द्वारा दिनांक 15.08.1997 को पारित नामा. संख्या 965 गैर कानूनी एवं विधि विरूद्ध पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

(ब) नामा. संख्या 965 दिनांक 15.08.1997 खोलते समय रेस्पो. संख्या 01 ने मृतक रामकिशन के वारिसान के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं करते हुए व अपीलान्ट को आराजी से महरूम करने के इरादे से ग्राम पंचायत द्वारा अपना आदेश पारित किया गया है। जो निरस्त किय जावें।

(स) रेस्पो. संख्या 02 लगायत 11 के पिता/पति/ससुर/बाबा प्रभू व रेस्पो. संख्या 12 लगायत 14 के पिता बुद्धि ने राजस्व कर्मचारियों के समक्ष अधूरा सजरा जिसमें अपीलान्ट की पत्नि/माता छुपाते हुए पेश किया है और उसी अधूरे सजरा के आधार पर रेस्पो. संख्या 01 ने विश्वास करते हुए गैर कानूनी रूप से अपना आदेश पारित किया है। जबकि रेस्पो. संख्या 01 को मृतक रामकिशन के वारिसान की पूरी तरह से जाँच करनी चाहिए थी। इस प्रकार नामा. संख्या 965 गैर कानूनी होने की वजह से निरस्त किये जाने योग्य है।

(द) नामा. स्वीकृत करने से पूर्व निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया है। नोटिस किसी प्रकार का जारी नहीं किया है और ना ही नोटिस बोर्ड पर नोटिस चस्पा ही किया है। सीधे ही गिरदावर, हल्का पटवारी की फर्जी रिपोर्ट को लेकर आनन फानन में नामा. स्वीकार किया गया है। इस प्रकार आदेश तहत कतई गलत है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार किये जाने बाबत निवेदन किया गया है।

हमने अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक से कराई गई। नोटिस की ताईद में रेस्पो. संख्या 01 की ओर से वकालतनामा श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा पेश किया गया। रेस्पो. संख्या 03, 04, 06, 08, 09, 10, 13, 14, 02, 05, 11, 12 की वाद तलबी कराये जाने के कोई उपस्थित नहीं आया। अतः उनके विरूद्ध कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लायी गई। अपीलान्ट संख्या 07 व 01 का जवाब बन्द किया गया। अपीलान्ट की ओर से शपथ–पत्र प्रतापसिंह व कमलसिंह की ओर से पेश की गई। जिरह करायी गई, हमने बहस एकपक्षीय सुनी गई।

हमने बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। इसके आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 15.08.1997 नामा. संख्या 965 ग्राम पंचायत रणधीरगढ तह. भुसावर निरस्त किया जाता है तथा इस आदेश के साथ तहसीलदार, भुसावर को प्रति प्रेषित की जाती है कि पुनः उभयपक्ष को सुनवाई कर नियमानुसार वाद जाँच अग्रिम कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2024 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(सचिन यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)